राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों ,उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 3, 1999

जी.एस.आर. 79 :-राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 29-क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39) अभिप्रेत है;

(ख) 'नियम' से अधिनियम के अधीन विरचित समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 अभिप्रेत है;

(ग) 'मुख्य न्यायमूर्ति' से राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'उच्च न्यायलय' से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ङ) 'चेतना समिति' से उच्च न्यायालय विधिक सेवा चेतना समिति या जिला विधिक चेतना समिति या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों में उन्हें समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय–2

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन :- (1) राजस्थान उच्च न्यायालय के लिये एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (जिसे इस अध्याय में इसके आगे समिति कहा गया है) होगी।

(2) उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, अन्य सदस्य चौदह से अधिक नहीं होंगे।

(3) समिति का अध्यक्ष, समिति के सदस्यों में से जोधपुर की सीट और जयपुर बैंच के लिये उप–समितियां गठित कर सकेगा और ऐसी उप–समितियां समिति द्वारा उन्हें सौपें गये कृत्यों का निर्वहन करेंगी।

(4) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 8–क (2)(ख) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिये तब ही अर्हित होगा, जब कि वह :-

(क) विधि या लोक प्रशासन के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति है; या

(ख) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनूसूचित जातियां, अनूसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चें, ग्रामीण और नगरीय श्रमिक भी शामिल हैं, के उत्थान में लगा हुआ हो; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो; या

(घ) वृत्तिक या सामाजिक संगम या किसी सरकारी विभाग या अर्द्ध सरकारी निकाय से संबंधित कोई निर्वाचित या अन्यथा पद का धारक है।

4. समिति की अवधि :- (1) अधिनियम की धारा 8–क की उप–धारा (2) के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित समिति की पदावधि दो वर्ष होगी :

परन्तु समिति इसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि इसके स्थान पर नई समिति नियुक्त नहीं कर दी जाती है :

परन्तु यह और कि विनियम 3 के उप–विनियम (4) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, उसके उसे पद पर न रहने पर सदस्य नहीं रहेगा जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति हुई थी ।

(2) समिति के किसी सदस्य को कार्यपालक अध्यक्ष की सिफारिश पर मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :-

(क) वह बिना पर्याप्त कारण के उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे; या

(ख) उसका बना रहना, किसी भी अन्य उपयुक्त और पर्याप्त कारण से वांछनीय नहीं समझा जाये।

(3) कोई भी सदस्य, मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित और अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, उस तारीख से जिसको उसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा स्वीकार किया जाये या त्यागपत्र निविदत्त करने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(4) यदि अधिनियम की धारा 8-क और इन विनियमों के अधीन नामनिर्देशित कोई भी सदस्य, किसी भी कारण से समिति का सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा, जैसी कि मूल नामनिर्देशन की है और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिये सदस्य बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है।

(5) उप-विनियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विनियम 3 के अधीन नामनिर्देशित सभी सदस्य, समिति की बैठकों और कृत्यों के संबंध में की गई यात्राओं के बारे में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदाय को प्राप्त करने के हकदार होंगे और उन्हें समिति द्वारा ऐसी दरों पर संदत्त किये जायेंगे, जो शासकीय कर्तव्य के लिये यात्रा करते समय प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ऐसी दरों पर आहरित करने का हकदार होगा, जो उसे उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन अनुज्ञेय है और वे भत्ते उस विभाग से आहरित करेगा, जिसमें वह इस प्रकार नियोजित है।

(7) समिति का सचिव नियमों के नियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रेंक का न्यायिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन न्यायिक अधिकारी के रूप में उसे अनुज्ञेय वेतन और भत्तों के अतिरिक्त कर्त्तव्यों के पालन के लिये 500/- रुपये का मानदेय संदत्त किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

5. समिति के कृत्य :- (1) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति, निम्नलिखित सभी कृत्यों या उनमें सें किन्हीं कृत्यों का पालना करेगी, अर्थात् :-

(क) उन व्यक्तियों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना, जो अधिनियम और तद्धीन विरचित नियमों और विनियमों के अधीन अधिकथिक मानदण्ड को पूरा करते हैं; और

(ख) उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के लिये लोक अदालत आयोजित करना; और

(ग) वार्ताओं, माध्यस्थम और सुलह द्वारा पक्षकारों के बीच विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना।

6. समिति के सचिव के कृत्य :-(1) समिति का सचिव (जिसे विनियम में इसके पश्चात् सचिव कहा गया है) समिति के नियंत्रणाधीन रखी गई समस्त आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा और समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा।

(2) सचिव समिति की निधियों की प्राप्तियों और संवितरण के सही और समुचित लेखे रखेगा या रखवायेगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति की बैठकें आयोजित करेगा और बैठकों में उपस्थित भी रहेगा और बैठकों की ऐसी कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को पृथक् से अभिलिखित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

7. समिति की बैठकें :-(1) समिति की बैठक सामान्यत: छ: मास में एक बार ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर समिति के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर होगी जैसा सचिव, अध्यक्ष की सहमति से विनिश्चित करें। उप-समितियों की बैठक सामान्यत: मास में एक बार ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर उनके अपने-अपने स्थानों पर होंगी। उप-समितियों की बैठकें सचिव द्वारा बुलाई जायेंगी।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति समिति या उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) समिति या उप-समिति की बैठक की प्रक्रिया और ऐजेन्डा ऐसा होगा जैसा अध्यक्ष निर्देश दें।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखे जायेंगे और ऐसे कार्यवृत्त सभी युक्तियुक्त समयों पर समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे। कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र दस दिवस के भीतर-भीतर राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

(5) समिति या उप-समिति की बैठक की गणपूर्ति, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को सम्मिलित करते हुए, समिति या उप-समिति के विद्यमान सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से कम नहीं होगी।

(6) समिति की बैठक में ऐजेन्डा से संबंधित समस्त मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

(7) ऐजेन्डा में सम्मिलित नहीं किये गये मामलों को उठाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला अन्य सदस्य ऐसा करने की अनुज्ञा न दें।

8. निधियां, लेखे और संपरीक्षा :-(1) समिति की निधियों में, ऐसी रकमें, जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित और मंजूर की जायें तथा ऐसी रकमें भी, जो समिति द्वारा समय-समय पर या तो दान के रूप में प्राप्त की जायें या ऐसे व्यक्ति से जिसे विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी या विपक्षी पक्षकार या अन्यथा से वसूल किये गये खर्चों, प्रभारों और व्ययों के रूप में प्राप्त की जायें, होंगी।

(2) समिति की निधियाँ, किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलकर रखी जायेगी और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार संबंधित समिति के सचिव के हस्ताक्षर से प्रचालित की जायेगी।

(3) आनुषंगिक प्रभारों यथा स्टाम्पों और अन्य आवश्यक व्ययों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ दो हजार रुपये से अन्यून के स्थायी अग्रिम की पर्याप्त रकम समिति के सचिव के नियंत्रण में रखी जायेगी।

(4) समिति के विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये विधिक सेवाओं पर सभी आवश्यक व्ययों की पूर्ति समिति की निधियों में से की जायेगी।

(5) समिति का सचिव, समस्त प्राप्तियों और संवितरणों का सही और ठीक लेखाओं को रखेगा और राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणी भेजेगा और ऐसे लेखों की अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा की जायेगी।

अध्याय–3

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियां

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें:– (1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी और पुन: नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की सिफारिश पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :–

(क) वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तीन क्रमवर्ती बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित रहने में विफल रहता है; या

(ख) उसे दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया है; या

(ग) उसे किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध कर दिया गया है जिसमें कार्य पालक अध्यक्ष की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है; या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ड़) उसने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उसका बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है :

परन्तु किसी भी सदस्य को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, नहीं हटाया जायेगा।

(3) कोई भी सदस्य, कार्यपालक अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से जिसको राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार किया जाये या त्यागपत्र निविदत्त करने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(4) यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये नामनिर्देशित कोई भी सदस्य, किसी भी कारण से सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जैसी कि मूल नामनिर्देशन की है और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिये सदस्य बना रहेगा जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है।

(5) उप-विनियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति के सदस्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक/शिविर के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के बारे में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदाय को प्राप्त करने के हकदार होंगे और इन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार के II वर्ग के अधिकारियों को अनुज्ञेय हो या जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित की जाये।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते ऐसी दरों पर आहरित करने का हकदार होगा जिनके लिये वह उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करेगा, जिसमें वह नियोजित है।

10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्य :-(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का संपादन करे जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जाये।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट या धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी कृत्यों या उनमें से किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) जन साधारण में विशेष रूप से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों में विधिक चेतना को प्रोन्नत करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना,

(ख) विधिक सेवा के लिये पैम्फलिट, पुस्तिकाएँ और अन्य समाचार-पत्र प्रकाशित/वितरित करना,

(ग) विधिक चेतना प्रोन्नत करने के लिये पैरा विधिक क्लिनिक स्थापित और नियंत्रित करना,

(घ) उक्त आशय के लिये सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करना,

(ड़) जन साधारण के बीच विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को संविधान द्वारा और सामाजिक कल्याण विधायनों तथा अन्य अधिनियमितियों के साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और अध्युपायों द्वारा प्रत्याभूत उनके अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के विषय में विधिक साक्षरता और विधिक चेतना प्रसारित करने के लिये समुचित कदम उठाना,

(च) निचले स्तर पर, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं तथा ग्रामीण और नगरीय श्रमिक वर्गों के बीच कार्य करने वाली स्वयम्सेवी सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना।

(छ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिये वीडियो/वृत्तचित्र, फिल्में, प्रचार सामग्री, साहित्य आदि तैयार करना और उनका प्रकाशन करना।

(3) जिला प्राधिकरण, अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन में, जहां कहीं भी यह आवश्यक समझा जाये, अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और गरीबों के लिए विधिक सेवाओं को प्रोन्नत करने के कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वय करके कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होगा जो राज्य प्राधिकरण उसे लिखित में दे।

11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :-(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, न्यायिक अधिकारी के रूप में उसके द्वारा निर्वहित किये जाने वाले कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्य, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा और उसके अतिरिक्त कर्तव्यों के ऐसे निर्वहन के लिए उसे 400/- रुपये प्रतिमास का मानदेय संदत्त किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(2) सचिव, जिला प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन रखी गयी समस्त आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के पर्यवेक्षणाधीन रखी गयी जिला प्राधिकरण की निधियों की प्राप्तियों और संवितरण का सही और समुचित लेखा रखेगा या रखवायेगा।

(4) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण की बैठकें आयोजित करेगा और बैठकों में उपस्थित भी रहेगा और ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों का सही और ठीक अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. जिला प्राधिकरण की बैठकें :-(1) जिला प्राधिकरण की साधारणतया मास में एक बार ऐसी तारीख, समय और ऐसे स्थान पर बैठक होगी, जो अध्यक्ष की सहमति से सचिव विनिश्चित करें।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति जो उससे ठीक नीचे का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी हो, अपने मुख्यालय पर जिला प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) बैठक का ऐजेण्डा और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी अध्यक्ष अवधारित करें, ऐजेन्डा में सम्मिलित नहीं किये गये मामलों को तब तक उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि अध्यक्ष ऐसा करने की अनुज्ञा न दें।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखा जायेगा और ऐसे कार्यवृत्त जिला प्राधिकरण के सदस्य के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर खुले रहेंगे।

(5) बैठक के लिए गणमूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सदस्यों की एक तिहाई से कम की नहीं होगी।

(6) जिला प्राधिकरण की बैठक में समस्त प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

13. निधियाँ, लेखे और संपरीक्षा :-(1) जिला प्राधिकरण की निधियों में ऐसी रकमें जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित और मंजूर की जायें और ऐसी रकमें जो जिला प्राधिकरण द्वारा या तो समय-समय पर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अनुमोदित दान के रूप में प्राप्त की जायें या ऐसे व्यक्ति से जिसे विधिक सहायता उपलब्ध करायी गई थी या विपक्षी पक्षकार या अन्यथा से वसूल किये गये खर्चों,प्रभारों, व्ययों के रूप में प्राप्त की जायें, होंगी।

(2) जिला प्राधिकरण की निधियाँ अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलकर रखी जायेंगी और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार जिला प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रचालित की जायेंगी।

(3) आनुषंगिक प्रभारों की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ दो हजार रुपये तक की रकम अध्यक्ष के पर्यवेक्षणाधीन जिला प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन रखी जायेगी।

(4) विधिक सहायता और परामर्श तथा जिला प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्ययों सहित विधिक सेवाओं के सभी व्ययों की पूर्ति जिला प्राधिकरण की निधियों में से की जायेगी ।

(5) जिला प्राधिकरण का सचिव, समस्त प्राप्तियों और संवितरणों का सही और ठीक लेखा रखेगा तथा राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणी भेजेगा। ऐसे लेखे अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार संपरीक्षित किये जायेंगे।

14. तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें:- (1) तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और वे पुन: नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

(2) तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्य को, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :-

(क) वह तालुक विधिक सेवा समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में बिना किसी पर्याप्त कारण के उपस्थित रहने में विफल रहता है; या

(ख) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ग) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें कार्यपालक अध्यक्ष की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है; या

(घ) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ङ) उसने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि तालुक विधिक सेवा समिति में उसका बने रहना लोकहित में प्रतिकूल हो गया है :

परन्तु किसी भी सदस्य को उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना विधिक सेवा समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(3) कोई भी सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष को सम्बोधित स्वयं द्वारा हस्ताक्षित पत्र द्वारा तालुक विधिक सेवा समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, ऐसी तारीख से जिसे उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाये या त्यागपत्र निविदत्त करने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(4) यदि कोई भी सदस्य किसी भी कारण से तालुक विधिक सेवा समिति का सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ति को मूल

नामनिर्देशन की रीति से भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए सदस्य बना रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है।

(5) उप-विनियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समिति के सदस्य, तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित बैठक/शिविर के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के बारे में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे और तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा ऐसी दरों पर संदाय किया जायेगा जो पदीय कर्तव्य के दौरान यात्रा करते समय प्प् वर्ग के कर्मचारी को अनुज्ञेय हो या जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विहित करे।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, तो वह उन दरों पर, जिनके लिए उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन वह हकदार है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आहरित करने का हकदार होगा और उस विभाग से आहरित करेगा, जिसमें वह नियोजित है।

15. तालुक विधिक सेवा समिति का सचिव :-(1) तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति के अधीन कार्य करने वाला कोई पदधारी तालुक विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा इन अतिरिक्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे 250/- रुपये प्रतिमास का मानदेय संदत्त किया जायेगा जिसे राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(2) सचिव, तालुक समिति के नियंत्रणाधीन रखी गयी समस्त आस्तियों, लेखों, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा।

(3) सचिव, तालुक समिति की निधियों की प्राप्तियों और संवितरण का सही और समुचित लेखा रखेगा।

(4) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बैठके आयोजित करेगा और ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त के सही और ठीक अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. तालुक समिति की बैठकें :-(1) तालुक समिति की बैठक मास में एक बार ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर मुख्यालय में और ऐसे स्थान पर होगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करें।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति तालुक समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) तालुक विधिक सेवा समिति की किसी भी बैठक की प्रक्रिया और ऐजेण्डा ऐसा होगा जो अध्यक्ष अवधारित करे।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखे जायेंगे और ऐसे कार्यवृत्त सभी युक्तियुक्त समयों पर तालुक समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(5) बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को सम्मिलित करते हुए, विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून होगी।

(6) तालुक समिति की बैठकों में उठाये गये सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले का मत निर्णायक होगा।

(7) ऐजेण्डा में सम्मिलित नहीं किये गये मामलों को उठानें की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला कोई भी अन्य सदस्य ऐसा करने की अनुज्ञा न दे।

17. तालुक विधिक सेवा समिति की निधियाँ, लेखे और संपरीक्षा :-(1) तालुक समिति की निधियों में, ऐसी रकम जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित और मंजूर की जाये और ऐसी रकमें भी जो समिति द्वारा समय-समय पर या तो जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित दान के माध्यम से या विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति या विपक्षी पक्षकार या अन्यथा से वसूल किये गये खर्चों, प्रभारों और व्ययों के माध्यम से प्राप्त हों, होंगी।

(2) तालुक समिति की निधियाँ अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंक में रखी जायेंगी।

(3) आनुषंगिक प्रभारों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एक हजार रुपये से अन्यून के स्थायी अग्रिम की पर्याप्त रकम तालुक समिति के सचिव के नियन्त्रणाधीन रखी जायेगी।

(4) तालुक समिति के विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के लिये विधिक सेवाओं के लिए आवश्यक समस्त व्ययों की पूर्ति तालुक समिति की निधियों में से की जायेंगी।

(5) तालुक समिति का सचिव समस्त प्राप्तियों और संवितरणों का सही और ठीक लेखा रखेगा और कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणी भेजेगा। तालुक समिति के लेखों की अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा की जायेगी।

अध्याय-4

विधिक सेवाएं

18. विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का ढंग :- विधिक सेवाएं निम्नलिखित समस्त या किसी एक या एक से अधिक रीतियों से उपलब्ध करवायी जा सकेगी, अर्थात :-

(क) किसी भी विधिक कार्यवाही के संबंध में न्यायालय फीस को छोड़कर संदेय या उपगत आदेशिका फीस और अन्य समस्त प्रभार;

(ख) किसी विधिक कार्यवाही में किसी विधि व्यवसायी के प्रतिनिधित्व के द्वारा;

(ग) कानूनी कार्यवाहियों में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ अभिप्राप्त करने के द्वारा;

(घ) विधिक कार्यवाहियों में दस्तावेजों के मुद्रण और अनुवाद सहित पेपर बुक तैयार करने के द्वारा; और

(ङ) किन्हीं भी अन्य व्ययों के द्वारा जिन्हें विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष सौंपे गये किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में मंजूर करना उचित समझें।

19. विधिक सहायता या सलाह के लिए आवेदन :- (1) विधिक सहायता या सलाह की वांछा रखने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण/समिति के सचिव या, यथस्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को संबोधित करके आवेदन कर सकेगा, किन्तु यदि आवेदक निरक्षर हो या आवेदन में अपेक्षित विवरण भरने की स्थिति में न हो, तो जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या कोई भी अन्य अधिकारी/पदधारी, कोई भी ऐसा विधिक व्यवसायी जिसका नाम, जिला प्राधिकरण या यथास्थिति समिति के विधिक सहायता अधिवक्ताओं के पैनल में हो, आवेदक से आवश्यक विवरण प्राप्त कर उसकी ओर से आवेदन तैयार करेगा और उसे पढ़कर और समझाकर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा। आवेदन इन विनियमों की अनुसूची ''क'' में उपदर्शित प्रोफार्मा में होगा।

(2) विधिक सहायता के लिए आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र होगा जिसे विधिक सहायता के लिए पात्रता विनिश्चित करने हेतु तब तक पर्याप्त माना जायेगा जब तक कि संबंधित जिला प्राधिकरण/समिति के पास ऐसे शपथ-पत्र पर अविश्वास करने का कारण न हो।

(3) जिला प्राधिकरण/समिति आवेदनों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें विधिक सहायता और सलाह के लिए प्राप्त समस्त आवेदनों की प्रविष्टि की जाएगी तथा ऐसे आवेदनों पर की गई कार्यवाही, ऐसे प्रत्येक आवेदन से संबंधित प्रविष्टि के सामने, अंकित की जायेगी।

20. आवेदनों को निपटाया जाना :- (1) विधिक सहायता या परामर्श के लिए किसी आवेदन पर, उच्च न्यायालय समिति या जिला प्राधिकरण की दशा में सचिव और तालुक समिति की दशा में तालुक समिति का अध्यक्ष, यह विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ कि क्या आवेदक इन विनियमों और अधिनियम तथा उसके अधीन के नियमों के उपबंधों के अनुसार विधिक सेवाएं मंजूर किये जाने के लिए पात्र है, आवेदन की संवीक्षा करेगा। ऐसे विनिश्चय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए वह आवेदक से ऐसी और जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो आवश्यक हो और आवेदक के साथ व्यक्तिगत रूप से मामले पर विचारविमर्श भी कर सकेगा। आवेदन पर यथासंभव शीघ्र और अधिमानत: एक मास के भीतर-भीतर कार्यवाही की जायेगी।

(2)जिला प्राधिकरण/समिति जिसे आवेदन किया गया है, आवेदन पर विचार करेगा और आवेदन की पात्रता विनिश्चित करेगा तथा सहायता उपलब्ध कराने या मंजूर करने का उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

(3) जहां किसी आवेदक को विधिक सहायता मंजूर नहीं करने का विनिश्चय किया जाये वहां ऐसा नहीं करने के कारण जिला प्राधिकरण/समिति द्वारा रखें गये आवेदकों के रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे और इस प्रभाव की जानकारी लिखित में आवेदक को दी जायेगी।

(4) विधिक सहायता या परामर्श के लिए किसी भी आवेदक को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी यदि जिला प्राधिकरण/समिति का यह समाधान हो जाये कि :-

(क) आवेदक ने केस के या अपने साधनों के या निवास स्थान के संबंध में जानते हुये मिथ्या कथन किया हो या मिथ्या जानकारी दी हो; या

(ख) अनुध्यात सिविल, दांडिक या राजस्व या कोई अन्य मामला जिसे किसी आवेदक का (केवल वादी, शिकायतकर्ता या याची की दशा में) न्यायालय में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हो। ऐसी कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं बनता हो; या

(ग) आवेदक, नियम 17 या विधि के किसी अन्य उपबंध या अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन उसके लिए हकदार है; या

(घ) मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूर किया जाना अन्यथा न्यायसंगत और युक्तियुक्त नहीं हो।

21. पात्रता का प्रमाण-पत्र :-(1) जहां विधिक सेवाओं के लिए किसी आवेदन की अनुज्ञा दी जाती है वहां जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति समिति का सचिव आवेदक को सम्बन्धित कार्यवाहियों के सम्बंध में विधिक सेवाओं के लिए उसे हकदार बनाने के लिए पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी करेगा। प्रमाण-पत्र इन विनियमों की अनुसूची ''ख'' में उपदर्शित प्रोफार्मा में होगा।

(2) पात्रता का प्रमाण-पत्र आवेदक को ऐसी विधिक सहायता के लिए हकदार बनायेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट है।

(3) पात्रता का प्रमाण-पत्र रद्द हो जायेगा, यदि विधिक सहायता वापस ले ली जाती है। वकील, जिसे आवेदक का केस सौंपा गया है और साथ ही न्यायालय, जिसके समक्ष केस लंबित है, को तद्नुसार लिखित में सूचित किया जायेगा।

22. पैनल के विधि व्यवसायी को संदेय मानदेय :-(1) संबंधित समिति/ जिला प्राधिकरण ऐसे विधि व्यवसायियों का एक पैनल तैयार करेगी जो इन विनियमों के अधीन विधिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधित्व करने या केस में अभिवचन करने के लिए तैयार हैं।

[1]''(2) प्रथम बार में प्रयास यह किया जावेगा कि विधि व्यवसायी की सेवाऐं मानदेय आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। यदि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था किसी दूसरे विधि व्यवसायी द्वारा सहायता प्रदान किये बिना नहीं हो सकती हों, तो सम्बन्धित समिति/ जिला प्राधिकरण विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर सकेगी और अग्रलिखित दर पर फीस का संदाय कर सकेगी:-

[2][(क) तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि 6000/- रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/-रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना क्रमांक 20722, दिनांक 20.03.2012, राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, दिनांक 04.05.2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना दिनांक 24 मई 2017, राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, दिनांक 25.05.2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण 9000/–रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/–रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय 13500/–रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/–रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(घ) उच्च न्यायालय 16,500/–रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 2000/– रुपये व्यय प्रति प्रकरण।]

[3][(ड़) किसी भी ऐसे केस में लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अध्यक्ष द्वारा उसे ऐसे स्वरूप/ महत्व का माना जाये जिसके लिए विधि व्यवसायी को अधिक फीस का संदाय करने की अपेक्षा हो, तो वह ऐसी अधिक फीस का संदाय कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।]

[4][परन्तु विविध और लघु प्रकरणों यथा जमानत प्रार्थना पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 125, 145, 133 के अधीन (रिवीजन) पुनर्विचार याचिकाओं में यथास्थिति उपखण्ड (क) से (घ) में विहित फीस की 1/3 राशि और 1000/– रुपये प्रति केस संदत्त किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि प्रकरणों के प्रत्याहरण/दोषी होने के अभिवचन के आधार पर निर्णय होने पर उपखण्ड (क) से (घ) में विहित फीस की 1/2 राशि संदत्त की जायेगी।]

(3) उप–विनियम (2) के अधीन संदेय फीस दो किस्तों में निम्नलिखित रूप में संदत्त की जायेगी :–

(क) केस की प्रथम सुनवाई के पश्चात् विधि व्यवसायी की नियुक्ति पर फीस का आधा; और

(ख) शेष फीस, केस के अंतिम विनिश्चिय के पश्चात्।

(4) ऐसा विधि व्यवसायी, जिसे कोई केस या तो विधिक परामर्श के लिए या विधिक सहायता के लिए सौंपा गया है, ऐसे व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे नकद या वस्तु के रूप में या कोई अन्य फायदा, चाहे वह आर्थिक रूप में या अन्यथा हो, प्राप्त नहीं करेगा और वह इस प्रभाव का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) पैनल पर का ऐसा विधि व्यवसायी, जिसने अपना कर्तव्यभार पूर्ण कर लिया है, उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति की ओर से संचालित विधिक कार्यवाहियों के संबंध में उसे देय फीस को दर्शित करते हुए विवरण जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव को प्रस्तुत

3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2012, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक, दिनांक 04.05.2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना दिनांक 24 मई 2017, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक, दिनांक 25.05.2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

करेगा जो सम्यक् जांच के पश्चात् अध्यक्ष की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा और ऐसी मंजूरी दिये जाने पर सचिव द्वारा शेष रकम विधि व्यवसायी को संदत्त की जायेगी। तथापि, यह ऐसे विधि व्यवसायी पर निर्भर करेगा कि वह शेष फीस को संपूर्णत: या भागत: अधित्यजित कर दें।

23. सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य :- प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जिला प्राधिकरण/समिति के कार्यालय में उपस्थित होगा; जब कभी उससे इस प्रकार नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी द्वारा अपेक्षा की जाये एवं, पूरी और सही जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित विधि व्यवसायी को केस के तथ्यों का पूरा प्रकटीकरण करेगा और जब कभी विधि व्यवसायी द्वारा अपेक्षा की जाये स्वयं के व्यय पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

24. पात्रता के प्रमाण-पत्र का रद्दकरण :-जिला प्राधिकरण/समिति या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा विनियम 21 के अधीन मंजूर किये गये पात्रता के प्रमाण-पत्र को निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसा पाये जाने की दशा में कि ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन थे या पात्रता का प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया था;

(ख) ऐसे व्यक्ति की परिस्थितियों में किसी भी सात्विक तब्दीली की दशा में;

(ग) विधिक सहायता प्राप्त करने के अनुक्रम में ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अवचार, उपापराध या उपेक्षा की दशा में;

(घ) ऐसे व्यक्ति का जिला प्राधिकरण/समिति के साथ या समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार समनुर्दिष्ट विधि परामर्शी के साथ सहयोग नहीं करने की दशा में;

(ङ) ऐसे व्यक्ति की समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा समनुर्दिष्ट विधि व्यवसायी से भिन्न किसी को नियुक्त करने की दशा में;

(च) ऐसी कार्यवाहियों को छोडकर जहां ऐसी कार्यवाहियां विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में;

(छ) ऐसे व्यक्ति को समनुर्दिष्ट अधिवक्ता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि वह अधिवक्ता के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या अधिवक्ता के साथ कदाचार का दोषी है और ऐसी रिपोर्ट सत्यापित की गयी है;

परन्तु पात्रता का ऐसा प्रमाण-पत्र ऐसे व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को यह कारण दर्शित करने, कि प्रमाण-पत्र क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए, का सम्यक् नोटिस दिए बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(2) जहां पूर्वाक्त खण्ड (क) में दिये गये आधार पर पात्रता का प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है वहां जिला प्राधिकरण/समिति अनुज्ञात विधिक सहायता को रोक देगी और यदि आवश्यक समझा जाये तो लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन सहायता प्राप्त व्यक्ति को मंजूर की गयी विधिक सहायता की रकम उससे वसूल करने की हकदार होगी।

25. अति आवश्यक मामलों में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहियां :-इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,

यदि किसी समिति/जिला प्राधिकरण के सचिव की यह राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है जहां तुरन्त कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है या समिति/जिला प्राधिकरण की बैठक तुरन्त आयोजित किये जाने की कोई संभावना नहीं हो, तो वह, संबंधित समिति/जिला प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और तत्पश्चात् वह यथाशक्य शीघ्र इस प्रकार उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित समिति/जिला प्राधिकरण को भेजेगा।

अध्याय –5

लोक अदालत

26. उच्च न्यायालय स्तर पर लोक अदालत का गठन :–(1) लोक अदालत में कम से कम आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे की रैंक का न हो और निम्नलिखित में से दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :–

(i) विधि व्यवसाय के सदस्य;

(ii) सामाजिक कार्यकर्ता;

(iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विख्यात व्यक्ति;

(iv) स्वयंसेवी सामजिक संगठनों के प्रतिनिधि;

(v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो;

(vi) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी।

(2) जिला स्तर पर लोक अदालत में कम से कम एक आसीन या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :–

(i) विधि व्यवसाय के सदस्य;

(ii) सामाजिक कार्यकर्ता;

(iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विख्यात व्यक्ति;

(iv) स्वयंसेवी सामजिक संगठनों के प्रतिनिधि;

(v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो।

(3) तालुक स्तर पर लोक अदालत में कम से कम एक आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :–

(i) विधि व्यवसाय के सदस्य;

(ii) सामाजिक कार्यकर्ता;

(iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विख्यात व्यक्ति;

(iv) स्वयंसेवी सामजिक संगठनों के प्रतिनिधि;

(v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो।

27. राज्य प्राधिकरण को सूचना :-उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण को उस तारीख से पहले जिसको लोक अदालत किया जाना प्रस्तावित है, लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :-

(i) स्थान और तारीख तथा समय जिस पर लोक अदालत आयोजित किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) क्या इस स्कीम के विनियम 26 (1),(2) व (3) के उप-वाक्य (पअ) में याथनिर्दिष्ट कुछ संगठन स्वयं को लोक अदालत के साथ सहयुक्त करने को सहमत हो गये हैं;

(iii) लोक अदालत के समक्ष रखे जाने को प्रस्तावित केसों के प्रवर्ग और स्वरूप यथा लंबित केस या पूर्व मुकदमेबाजी विवाद या दोनों;

(iv) लोक अदालत के समक्ष लाये जाने वाले प्रस्तावित केसों की संख्या;

(v) लोक अदालत को बुलाये जाने और आयोजित करने के सुसंगत अन्य कोई जानकारी।

28. लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया :-(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियमित अन्तरालों पर, जैसा उचित समझे, निपटाये जाने के लिए उपलब्ध केसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लोक अदालत संयोजित और आयोजित करेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथस्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक तिमाही में कम से कम एक बार और अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा उसे निर्दिष्ट निपटाये जाने के लिए उपलब्ध केसों की पर्याप्त संख्या होते ही, लोक अदालत आयोजित करेगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, निपटाये जाने के लिए उपलब्ध किन्हीं विशेष प्रकार के केसों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, विधि व्यवसाय के सदस्यों, महाविद्यालयों के छात्रों, विधिक क्लिनिक के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, पूर्त और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को लोक अदालत से सहयुक्त कर सकेगा।

29. लोक अदालत आयोजित करना :-कोई लोक अदालत ऐसे समय और स्थान पर और शनिवार, रविवार और अवकाशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे किसी दिन आयोजित की जा सकेगी जैसा राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, या यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति समुचित समझे।

30. लोक अदालत को केस का निर्देश :-(1) केस, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) उक्त निर्देश करते समय, संबंधित न्यायालय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को लोक अदालत के समक्ष मामले को रखने के लिए अभिलेख/पत्रावली पारेषित करेगा और पक्षकारों को इसके लिए नियत तारीख पर लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा।

(3) लोक अदालत में विवाद के निपटारे के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा लोक अदालत के समक्ष भेजे गये किसी आवेदन की प्राप्ति पर सम्बन्धित लोक अदालत, आवेदन समुचित कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायालय को भेजेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, अभिलेख प्राप्त किये जाने के समय से उसके लौटाये जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी लोक अदालत को आयोजित करने और न्यायालय अभिलेखों को पारेषित करने में सहयोग करेगा तथा लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए सद्भाविक प्रयास करेगा।

(6) न्यायिक अभिलेखों को लोक अदालत के होने से दस दिन के भीतर-भीतर इस बात को विचार में लाये बिना कि क्या लोक अदालत ने केस का निपटारा कर दिया है या नहीं, कार्यवाहियों के परिणाम संबंधी एक पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया जायेगा। तथापि, लोक अदालत समिति को, जहां केस के निपटारे की संभावना प्रतीत हो और यदि वह उसके अभिलेख फाईल को अगली लोक अदालत में रखा जाना उचित समझे तो वह उन्हें रोके रखने के लिए स्वतंत्र होगी और संबंधित न्यायालय को सूचित करेगी।

31. मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर लोक अदालत :-(1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर पक्षकारों के बीच किसी विधिक विवाद के निपटारे के लिए प्राप्त आवेदन पर जिला प्राधिकरण/समिति का क्रमशः सचिव /अध्यक्ष मामले का निरीक्षण करेगा और यदि वह मुकदमेबाजी के पूर्व निपटारे के लिए मामले को निर्देशित करना ठीक समझे तो वह आवेदन और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ विपक्षी पक्षकार को उसके समक्ष हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव/अध्यक्ष या, यथास्थिति, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि वह मामले को लोक अदालत को निर्देशित करना उचित समझे तो वह पक्षकारों को मुकदमेबाजी के पूर्व निपटारे के लिए लोक अदालत के समक्ष लोक अदालत के लिए नियत तारीख पर हाजिर होने के लिए निर्देश देगा।

(3) इस प्रकार निर्दिष्ट मामला, यदि लोक अदालत द्वारा मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर नहीं निपटा दिया जाता है तो जिला प्राधिकरण/समितिका सचिव या, यथास्थिति, अध्यक्ष कागज पत्रों का अभिलेख रखेगा और पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार चाहने के लिए परामर्श देगा तथा यदि कोई भी पक्षकार विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो तो उसे विधिक सहायता के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए निर्देश देगा।

(4) ऐसे केसों में जो मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर लोक अदालत को निर्दिष्ट किये गये हैं, पक्षकारों के कथन और लोक अदालत के मूल पंचाट के साथ उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज न्यायिक अभिलेख के भाग होंगे।

(5) लोक अदालत की समाप्ति पर मुकदमेबाजी के पूर्व के केसों के अभिलेख जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव या, यथास्थिति, अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगे।

32. लोक अदालत के कृत्य :-(1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक बैंच को विशिष्ट केस समनुदेशित करेंगे।

(2) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक बैंच के लिए एक ''वाद सूची'' तैयार करेगा और समस्त संबंधितों को ऐसी लोक अदालत की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व ऐसी लोक अदालत की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा तथा पक्षकारों को ऐसे नोटिस से जिला प्राधिकरण/समितिके सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिमुक्त किया जा सकेगा यदि उसकी यह राय हो कि पक्षकारों को विनियम 3(2) के अधीन निर्देश करते समय समुचित और सम्यक् नोटिस दिया जा चुका है।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक बैंच, उसके समक्ष रखे गये केस के सुलहपूर्ण निपटारे के लिए, किसी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना, सद्भाविक प्रयास करेगी।

33. लोक अदालत में समझौता या निपटारा करने की प्रक्रिया :-(1) जब पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा हो जाये तब लोक अदालत ऐसे समझौते के आधार पर पंचाट करने के लिए अग्रसर होगी।

(2) लोक अदालत के प्रत्येक पंचाट पर लोक अदालत को गठित करने वाले पैनल द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(3) मूल पंचाट न्यायिक अभिलेख का भाग होगा और पंचाट की प्रति जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव द्वारा या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रमाणित होने के रूप में प्रत्येक पक्षकार को दी जायेगी।

34. पंचाट का निरपेक्ष और स्पष्ट होना :-(1) लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट निरपेक्ष और स्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा में लिखा जायेगा। पंचाट हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा जा सकेगा।

(2) विवाद के पक्षकारों से लोक अदालत के पंचाट पर उनके हस्ताक्षर करने या, यथास्थिति, अंगूठा निशानी लगाने की अपेक्षा की जायेगी।

35. परिणामों का संकलन :–लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, समिति का सचिव राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए परिणाम का संकलन करेगा जबकि तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के साथ ही जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए और अपने अभिलेख के लिए भी उनका संकलन करेगा।

36. लोक अदालत के न्यायाधीशों के पैनल का रखा जाना :–जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अधिनियम की धारा 28 (2) (ण) के उपबंधो के अनुसार और नियमों के नियम 17 में यथा–अधिकथित विहित अर्हता और अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि, जो लोक अदालतों में सहयुक्त होने के लिए सहमत हैं, का एक पैनल बनायेगा।

37. बैठक और वाहन भत्ता :–लोक अदालत की बैंच के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक लोक अदालत के लिए [5]1000/– रूपये के मानदेय का संदाय किया जायेगा और वास्तविक वाहन प्रभारों या ऐसे वाहन भत्तों का हकदार होगा जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से समय–समय पर नियत किये जायें।

38. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट केसों के अभिलेख को रखे जाने की प्रक्रिया :– (1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित रूप से विशिष्टियां देते हुए लोक अदालत को निर्देश के रूप से विशिष्टियां देते हुए लोक अदालत को निर्देश के रूप में उसे प्राप्त समस्त केसों को प्रविष्ट करेगा :–

(i) प्राप्ति की तारीख;

(ii) केस का स्वरूप;

(iii) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जायें, और

(iv) निपटारे की और केस फाईल को लौटाने की तारीख।

(2) जब केस लोक अदालत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिया जाये, तब उसकी समुचित प्रविष्टि रजिस्टर में की जायेगी।

39. विविध :–(1) लोक अदालत में पक्षकारों की ओर से वकीलों को उपस्थित होने से इंकार नहीं किया जायेगा।

(2) किसी लोक अदालत के समक्ष लाये गये या उसे निर्दिष्ट किये गये मामलों या केसों की बाबत् पक्षकारों द्वारा कोई न्यायालय शुल्क संदेय नहीं होगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालतों को, ऐसी सभी सहायता उपलब्ध करायेगा, जो आवश्यक हो।

(4) लोक अदालत की प्रत्येक बैंच अपने समक्ष की कार्यवाहियों के संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विकसित कर

5. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना दिनांक 24 मई 2017, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक, दिनांक 25.05.2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

सकेगी और वह सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता से आबद्ध नहीं होगी, तथापि, बैंच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, साम्या, न्यायोचित व्यवहार और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

अध्याय –6

निधि एवं लेखे

40. बजट :–(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला प्राधिकरण, अधिनियम, नियम और विनियम द्वारा परिकल्पित स्कीम के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) तालुक विधिक सेवा समिति, अधिनियम, नियम और विनियम द्वारा परिकल्पित स्कीम के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट प्राक्कलन संबंधित जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी, जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित किया जायेगा।

(3) ऐसी स्कीमों के लिए व्यय ''गैर योजना व्यय'' होगा और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला प्राधिकरण और यथास्थिति तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त अनुदानों से इसकी पूर्ति की जा सकेगी।

41. लेखाओं का रखा जाना :–(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उक्त स्कीमों पर उपगत किये जाने वाले व्यय पर सम्पूर्ण और पूर्ण नियंत्रण रखेंगे।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण का सचिव राज्य प्राधिकरण को प्रत्येक तिमाही सही और उचित लेखा देगा।

(3) तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जिला प्राधिकरण को प्रत्येक मास सत्य और उचित लेखा देगा जिसे सम्यक् संवीक्षा के पश्चात् राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित किया जायेगा।

42. विशिष्ट अनुदानों का आवंटन:–उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति से प्राप्त आवेदन पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालतों के संयोजन और आयोजन को, आवश्यक समझा जाने पर, विशिष्ट अनुदानों से निर्मुक्त कर सकेगा।

43. लेखे आदि का रखा जाना :–लेखाओं के रख–रखाव के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, वहां के सिवाय लागू होंगे, जहां वे अधिनियम और उसके अधीन के विनियमों या नियमों से संगत नहीं है।

अध्याय –7

विधिक साक्षरता

विधिक चेतना समिति

44. उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति का गठन :–(1)राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति होगी, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निदेशन और पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

(2) उच्च न्यायलय विधिक चेतना समिति के पन्द्रह सदस्य होंगे।

(3) उच्च न्यायलय विधिक चेतना समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(i) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष। .....अध्यक्ष।

(ii) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव। .....सचिव।

(iii) अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन। .....सदस्य।

(iv) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान .....सदस्य।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उन व्यक्तियों में से इस विनियम के उप-विनियम (5) में विहित अनुभव और अर्हता रखने वाले (अधिक से अधिक ग्यारह) अन्य सदस्य नामनिर्देशित करेगा, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य होगा।

(5) कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए तब ही अर्हित होगा जब कि वह :-

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण और नगरीय श्रमिकों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान में लगा हुआ विख्यात समाज सेवक हो; या

(ख) विधि के क्षेत्र में विख्यात कोई व्यक्ति हो; या

(ग) विधिक चेतना स्कीमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रुचि रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो; या

(घ) शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या रहा हो; या

(ङ) अधिनियम, नियम और उनके अधीन विनियम द्वारा परिकल्पित स्कीम से जुड़ा हुआ विधि छात्र हो।

45. उच्च न्यायलय विधिक चेतना समिति की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें :-(1) विनिमय 44 के उप-नियम (4) के अधीन नामनिर्देशित उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी और वे पुन: नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) विनियम 44 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के किसी सदस्य को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :-

(क) वह उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने में विफल रहता है; या

(ख) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ग) वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें कार्यपालक अध्यक्ष की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो; या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति में उसका बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है;

परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति से, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं हटाया जायेगा।

(3) कोई सदस्य, उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति से, कार्यपालक अध्यक्ष को संबोधित अपने स्वयं के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से जिसको वह राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाये या त्यागपत्र देने की तारीख से 30 दिवस की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(4) यदि विनियम 44 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य किसी कारण से उच्च न्यायलय विधिक चेतना समिति का सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति उसी रीति से भरी जायेगी जिससे मूल नामनिर्देशन किया गया था और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(5) विनियम 44 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित सभी सदस्य, उप-विनियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति द्वारा आयोजित बैठक/शिविर के संबंध में की गयी यात्राओं के बारे में, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे और वे ऐसी दरों पर संदत्त किये जायेंगे जैसी किसी प्रथम वर्ग के अधिकारी को पदीय कर्त्तव्य पर यात्रा करते समय अनुज्ञेय हो या जैसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ऐसी दरों पर आहरित करने का हकदार होगा जिनका वह अपने पर लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करे जिसमें वह नियोजित है।

(7) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति का सचिव होगा।

46. उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के कृत्य :-(1) उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह विधिक चेतना के बारे में राज्य प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं कृत्यों को करेगी, अर्थात् :-

(क) समाज में विशिष्ट रूप से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गो में विधिक चेतना को प्रोन्नत करने के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना,

(ख) विधिक चेतना के लिए पैम्फलिट, पुस्तिकाएं और अन्य समाचार पत्र प्रकाशित/वितरित करना,

(ग) विधिक चेतना प्रोन्नत करने के लिए पैरा लीगल क्लिनिक स्थापित करना और नियंत्रण करना,

(घ) उस प्रयोजन से विचार गोष्ठियों और कर्मशालाओं का प्रबंध करना,

(ङ) जनसाधारण के बीच विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को संविधान द्वारा और समाज कल्याण के विधानों और अन्य अधिनियमितियों के साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों आदि के द्वारा प्रत्याभूत उनके अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के विषय में विधिक साक्षरता और विधिक चेतना प्रसारित करने के लिए समुचित कदम उठाना,

(च) निचले स्तर पर; विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं और ग्रामीण एवं नगरीय श्रमिक वर्गों के बीच में कार्य करने वाली स्वयंसेवी समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना,

(छ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिए वीडियों/वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य आदि तैयार करना और उनको प्रकाशित करना।

47. सचिव के कार्य :-(1) सचिव समिति के व्ययनाधीन रखी गयी सभी आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखाओं और निधियों का अभिरक्षक होगा और वह समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और निर्देश के अधीन कार्य करेगा।

(2) सचिव समिति की निधियों की प्राप्ति और संवितरण के सही और उचित लेखे रखेगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से समिति की बैठक/विधिक साक्षरता शिविर संयोजित करेगा और बैठकों में उपस्थित भी रहेगा और बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

48. समिति की बैठकें :-(1) समिति साधारणतया तीन महिने में एक बार ऐसी तारीख और समय पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी जो सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चित करे।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) समिति की किसी भी बैठक की क्रिया ऐसी होगी जैसी अध्यक्ष अवधारित करें।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखा जायेगा और ऐसा कार्यवृत्त समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर खुला रहेगा। कार्यवृत्त की एक सूची राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

(5) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(6) समिति की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

जिला विधिक चेतना समिति

49. जिला विधिक चेतना समिति का गठन :-(1) संबंधित जिले के लिए पृथक जिला विधिक चेतना समिति होगी, जो जिला प्राधिकरण के निर्देश और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी।

(2) जिला विधिक चेतना समिति में अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए ग्यारह सदस्य होंगे।

(3) जिला विधिक चेतना समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(i) संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश .....अध्यक्ष।

(ii) जिला बार ऐसोसिएशन का अध्यक्ष। .....सदस्य।

(iii) ऐसे जिले में जिसमें जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का मुख्यालय एक ही हो, जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुख्यालय एक नहीं हो, तो जिला न्यायाधीश मुख्यालयों पर वरिष्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। .....सचिव।

(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारी। .....सदस्य।

(v) जन सम्पर्क अधिकारी। .....सदस्य।

(4) जिला विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से, इन विनियमों के विनियम 44 के उप-विनियम (5) में विहित अनुभव और अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से (अधिक से अधिक छः) अन्य सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा।

50. जिला विधिक चेतना समिति की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें :-(1) विनियम 49 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य की पदावधि दो वर्ष के लिए होगी और वे पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) विनियम 49 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित जिला विधिक चेतना समिति का कोई सदस्य, जिला विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :-

(क) वह जिला विधिक चेतना समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने में विफल रहता है; या

(ख) उसे दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो, या

(ग) उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें कार्यपालक अध्यक्ष की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो; या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि जिला विधिक चेतना समिति में उसका बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है: परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को जिला विधिक चेतना समिति से, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं हटाया जायेगा।

(3) कोई सदस्य जिला विधिक चेतना समिति से कार्यपालक अध्यक्ष को संबोधित अपने स्वयं के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग पत्र उस तारीख से, जिसको वह राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाये या त्याग पत्र देने की तारीख से 30 दिवस की समाप्ति पर इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(4) यदि विनियम 49 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य, किसी कारण से जिला विधिक चेतना समिति का सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति उसी रीति से भरी जायेगी जिससे मूल नामनिर्देशन किया गया था और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(5) उप-विनियम (6) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए समिति के सदस्य, जिला विधिक चेतना समिति द्वारा आयोजित बैठक/शिविर के संबंध में की गयी यात्राओं के बारे में, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे और वे जिला विधिक सेवा समिति द्वारा ऐसी दरों पर संदत्त किये जायेंगे जैसा राज्य सरकार के द्वितीय वर्ग अधिकारी को अनुज्ञेय हो, या जैसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आहरित करने का हकदार होगा जिसका वह अपने पर लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करने का हकदार होगा, जिसमें वह नियोजित है।

(7) संबंधित जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित अन्य न्यायिक अधिकारी, जिला विधिक चेतना समिति का सचिव होगा।

51. जिला विधिक चेतना समिति के कृत्य :-(1) जिला विधिक चेतना समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य प्राधिकरण की नीति और निर्देश को कार्यान्वित करें।

(2) उप- विनियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला विधिक चेतना समिति, जिले के लिए, विनियम 46 के उप-विनियम (2) में प्रगणित ऐसे समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों को करेगी जिनका इससे पूर्व उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के लिए उल्लेख किया गया है।

52. समिति की बैठकें :-(1) समिति साधारणतया तीन माह में एक बार ऐसी तारीख और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी जो सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चित करें।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) समिति की किसी भी बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी अध्यक्ष अवधारित करे।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखा जायेगा और ऐसा कार्यवृत समिति के सदस्यों के निरिक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर खुले रहेंगे। कार्यवृत्त की एक प्रति 15 दिनों के भीतर-भीतर राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

(5) बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष या समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(6) समिति की बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

तालुक विधिक चेतना समिति

53. तालुक विधिक चेतना समिति का गठन :-(1) संबंधित तालुक (उप-खण्ड) के लिए पृथक तालुक विधिक चेतना समिति होगी जो तालुक विधिक सेवा समिति के निर्देश और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी।

(2) तालुक विधिक चेतना समिति में अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नौ सदस्य होंगे।

(3) तालुक विधिक चेतना समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(i) संबंधित तालुक (उप-खण्ड) का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी। .....अध्यक्ष।

(ii) बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। .....सदस्य।

(iii) उप-खण्ड मजिस्ट्रेट। .....सदस्य।

(4) तालुक विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष, जिला विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष के परामर्श से, इन विनियमों के उप-विनियमों के उप-विनियम (5) में विहित अनुभव और अर्हताओं को रखने वाले व्यक्तियों में से (अधिक से अधिक छः) अन्य सदस्य नामनिर्देशित करेगा जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होगा।

(5) कोई व्यक्ति तालुक विधिक चेतना समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए तब ही अर्हित होगा जब वह :-

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और नगरीय श्रमिकों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान में लगा हुआ विख्यात समाज सेवक हो; या

(ख) विधि के क्षेत्र में विख्यात कोई व्यक्ति हो; या

(ग) विधिक चेतना स्कीमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रूचि रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो; या

(घ) शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या रहा हो; या

(ड) विधि छात्र हो।

54. तालुक विधिक चेतना समिति की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें :-(1) विनियम 53 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित तालुक विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और वे पुन: नामनिर्देशित होने के पात्र होंगे।

(2) विनियम 53 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित तालुक विधिक चेतना समिति के सदस्य को, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर, जिला विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा यदि वह विनियम 45 के उप-विनियम (2) में उल्लेखित निरअर्हताओं में से किसी के अधीन आता हो :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को, तालुक विधिक चेतना समिति से उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं हटाया जायेगा।

(3) कोई सदस्य तालुक विधिक चेतना समिति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वयं के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग पत्र उस तारीख से जिसको यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाये या त्याग पत्र देने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(4) विनियम 53 के उप-विनियम (4) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य किसी कारण से तालुक विधिक चेतना समिति का सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ति उसी रीति से भरी जायेगी जिससे मूल नामनिर्देशन किया गया था और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा।

(5) उप-विनियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति के सदस्य, तालुक विधिक चेतना समिति द्वारा आयोजित बैठक/शिविर के संबंध में की गयी यात्राओं के बारे में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे और वे तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा ऐसी दरों पर संदत्त किये जायेंगे जैसा तीसरे वर्ग के कर्मचारी को पदीय कर्तव्यों पर यात्रा करते समय अनुज्ञेय हों या जैसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित की जाये।

(6) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, तो वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ऐसी दरों पर आहरित करने का हकदार होगा जिसका वह अपने पर लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करेगा, जिसमें वह नियोजित है।

(7) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी तालुक विधिक चेतना समिति का सचिव होगा।

55. तालुक विधिक चेतना समिति के कृत्य :-(1) तालुक विधिक चेतना समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य प्राधिकरण और जिला विधिक चेतना समिति की नीति और निर्देश को क्रियान्वित करे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तालुक विधिक चेतना समिति, संबंधित तालुक के लिए, विनियम 46 के उप-विनियम (2) में प्रगणित ऐसे समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों को करेगी जिनका इससे पूर्व उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के लिए उल्लेख किया गया है।

56. समिति की बैठकें :-(1) समिति साधारणतया तीन माह में एक बार ऐसी तारीख और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी जो सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चित करे।

(2) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा

(3) समिति की किसी भी बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी अध्यक्ष अवधारित करे।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखा जायेगा और ऐसे कार्यवृत्त समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर खुले रहेंगे। कार्यवृत्त की एक प्रति जिला प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

(5) बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष या समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(6) समिति की बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

57. विधिक साक्षरता शिविर अयोजित करने के लिए प्रक्रिया :-(1) उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति या जिला विधिक चेतना समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष एक माह में, कम से कम एक बार विधिक साक्षरता शिविर संयोजित और आयोजित करेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति या जिला विधिक चेतना समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष विधिक साक्षरता शिविर में, विधिक वृत्ति के सदस्यों, महाविद्यालयों के छात्रों, सामजिक संगठनों, पूर्त और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को भी सहयोजित करेगा।

58. राज्य प्राधिकरण को सूचना :- (1) उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति या जिला विधिक चेतना समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष, विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में उस तारीख से ठीक पूर्व जिसको ऐसा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है, राज्य प्राधिकरण को सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी देगा :-

(i) वह स्थान, तारीख और समय जिस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है,

(ii) कि क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन और अन्य संगठन अपने आपको विधिक साक्षर शिविर में सहयोजित करने के लिए सहमत हो गये हैं,

(iii) विधिक साक्षरता शिविर में षग लेने वालों के नाम और अन्य विशिष्टियां,

(iv) विधिक साक्षरता शिविर संयोजित और आयोजित करने संबंधी कोई अन्य जानकारी।

59. विधिक साक्षरता शिविर की संरचना :-विधिक साक्षरता की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा या समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो कोई आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, वकील, समाज सेवक या कोई शिक्षाविद् हो सकेगा।

60. विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन :- विधिक साक्षरता शिविर उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति, जिला विधिक चेतना समिति या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति द्वारा शनिवार, रविवार और अवकाशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे समय और स्थान तथा विनियम 58 के अधीन यथासूचित या समुचित समझे गये दिन को आयोजित किया जा सकेगा।

61. गरीबों के लिए विधिक सेवा को प्रोन्नत करने के कार्य में लगे हुए सरकारी अभिकरण, गैर सरकारी स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाएं और अन्य निकाय, अधिनियम, नियम और उनके अधीन बनाये गये विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित उपाय करने में राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/समिति या, यथास्थिति, विधिक चेतना समितियों का सहयोग करेंगे, उन्हें राज्य/जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्बद्ध किया जायेगा या जिला चेतना समिति उन्हें ऐसी जांच करने और ऐसे कदम उठाने के पश्चात् संबद्ध करेगी, जैसा वह उचित समझे और ये संस्थाएं संबंधित अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन कार्य करेगी।

62. विधिक साक्षरता कार्यक्रमों से संबद्ध गैर-सरकारी अधिकारियों या व्यक्तियों को हटाया जाना :-यदि उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति, जिला विधिक चेतना समिति या, यथास्थिति, तालुक विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष की राय में विधिक साक्षरता कार्यक्रमों से संबद्ध कोई गैर-सरकारी संगठन या विधिक क्लिनिक के सदस्य या कोई अन्य संगम, पूर्व में उल्लेखित ऐसे कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति में रुचि नहीं ले रहे हैं तो वह विधिक क्लिनिक, या ऐसे किसी अन्य संगठन के ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे शिविरों से स्वयं को सहयुक्त न रखने का आदेश देगा।

63. रिक्तियों या नियुक्ति में दोष, अविधिमान्य आदेश और कार्रवाई :-जिला प्राधिकरण/समिति या, यथास्थिति, विधिक चेतना समिति की कोई कार्यवाही या कार्यवाही, इसके सदस्यों की किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी दोष की विद्यमानता के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी।

64. सद्भावना से की गयी कार्रवाई का संरक्षण :-जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, समिति के अधीन कार्य करने वाले सदस्यों या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध, इन विनियमों के अधीन दिये गये किसी आदेश को निष्पादित करने के लिए, या इन विनियमों के अधीन ऐसे सदस्य, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा किसी बात के सम्बन्ध में सद्भावना से की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाई के लिए, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

अनुसूची ''क''

(विनियम 19 देखिए)

विधिक सहायता की मंजूरी के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम	:
2.	आवेदक के पिता/पति का नाम	:
3.	क्या आवेदक अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित है, यदि ऐसा है, तो उप-जाति का उल्लेख करे	:
4.	आवेदक का व्यवसाय :	
5.	आवेदक का पता	:
6.	आवेदक की वार्षिक आय	:
7.	उस न्यायालय/अधिकरण का नाम जिसमें केस संस्थित किया जाना है या लम्बित है	:
8.	विरोधकर्त्ता का नाम और पता	:
9.	विवाद की विषय-वस्तु	:
10.	वकील का नाम जिसकी सेवाएं आवेदक लेना चाहेगा	:
11.	क्या उसी विषय-वस्तु के सम्बन्ध में किसी न्यायालय/ अधिकरण में कोई कार्यवाही संस्थित की गयी थी, और यदि ऐसा है तो उसका परिणाम क्या हुआ?	:
12.	क्या किसी पूर्व अवसर पर किसी विधिक सहायता के लिए आवेदन किया गया, अभिप्राप्त की गयी या उससे इंकार किया गया? यदि ऐसा है तो वह कार्यवाही और उसमें प्राप्त की गयी विधिक सहायता की विशिष्टयां दें।	:

स्थान : ..... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

सत्यापन

अनुसूची ''ख''

(विनियम 21 देखिए)

विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति का कार्यालय

प्रमाण–पत्र

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति ने, आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी..................... .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. .... द्वारा दी गई विशिष्टियों पर .... के न्यायालय में संस्थिति किये जाने के लिए/लम्बित केस सं. .... में उक्त आवेदक को विधिक सहायता मंजूर करने का विनिश्चय किया गया है और आवेदन में चाहे अनुसार श्री/श्रीमति/कुमारी .... अधिवक्ता को विनियमों, अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने और मामले का अभिवचन करने के लिए आवेदक की ओर से नियुक्त किया गया है।

स्थान : ....

तारीख : ....

अध्यक्ष/सचिव

विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति

ख्प. 8 (7) विधि/2/98,

❖ ❖ ❖